# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 157/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2014/00013)**

मोमनराम पुत्र मुखराम जाति माली निवासी नोहर पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस के पास, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. ताराचन्द पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी नोहर हाल आबाद लुधियाना मकान नं. 263–ए, मॉडल टाऊन, शास्त्री नगर, नजदीक गुरूतेज बहादुर हॉस्पीटल लुधियाना (पंजाब)
2. चम्पालाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी नोहर हाल आबाद लुधियाना मकान नं. 263–ए, मॉडल टाऊन, शास्त्री नगर, नजदीक गुरूतेज बहादुर हॉस्पीटल लुधियाना (पंजाब)
3. तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

**रेस्पोडेंट्स**

**उपस्थितः** 1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री गगन मोदी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली– राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 31.05.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 18.03.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ताराचन्द ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया किया कि तहसीलदार नोहर द्वारा चक 27 एन.टी.आर. का नामान्तरकरण सं. 290 दिनांक 31.03.2010 दर्ज किया गया है उनको निरस्त फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 18.03.2014 द्वारा रेस्पोडेन्ट ताराचन्द की अपील स्वीकार की कर इन्तकाल सं. 290 दिनांक 31.03.2010 निरस्त कर मृतक मोहनलाल के स्थान पर उसके जायज वारिसान ताराचन्द, चम्पालाल पि. मोहनलाल का नाम दर्ज किया जावे। इन्तकाल सं. 291 दिनांक 11.06.2010 सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त किये जाने के आदेश दिये।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि आराजी जैर अपील 27 एन. टी.आर.का इन्तकाल सं. 290 दिनांक 31.03.2010 ए.डी.एम. हनुमानगढ के आदेश दिनांक 01.01.2010 एवं एस.डी.एम. नोहर के खातेदारी सनद के अनुसार अन्य हिस्सेदारो के साथ–साथ मोहनलाल पुत्र मुखराम के नाम दर्ज किया गया है जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय को ए.डी.एम.हनुमानगढ के आदेश से चढाये गये इन्तकाल को खारिज नही करना चाहिए था क्योकि रेस्पोडेन्ट ताराचन्द ने ए.डी.एम. हनुमानगढ के उपरोक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु कोई अपील नही की थी। मोहनलाल ने अपना हिस्सा भूमि 1 बीधा 10 बिस्वा जरिये दस्ताबरदारी दिनांक 02.02.1998 अपीलान्ट के हक मे छोड़ दिया था जिसके आधार पर ही इन्तकाल सं. 291 दिनांक 11.06.2010 अपीलान्ट के नाम चढाया गया है जो सही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नही है। खातेदारी का इन्तकाल सं. 290 ए.डी.एम एवं एस.डी.एम. साहब के आदेशो से दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ताराचन्द ने सिविल न्यायालय नोहर में मोहनलाल द्वारा की गई दस्तबरदारी को शून्य निष्पभावी धोषित कराने का दावा किया। सिविल न्यायालय नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2020 द्वारा दावा अस्वीकार कर मोहनलाल द्वारा की गई दस्तबरदारी को सही मान लिया। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की गैर हाजरी में पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.03.2014 खारिज किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 5 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 में जो कथन किया है वो गलत है। अपील पेश करने में

अति संभागीय आयुक्त
बीकानेर

देरी कारण बीमारी बताया है जबकि इस संबध में कोई डॉक्टर की पर्ची वगैरह नही पेश की है। उक्त विवादित भूमि मुखराम की विरासतन भूमि थी। मोहनलाल द्वारा गलत दस्तबरदारी की गई थी। अगर विरासतन दस्तबरदारी करनी भी होती है तो सभी वारिसानो के नाम बराबर दस्तबरदारी होती है। सिविल न्यायालय नोहर के निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरूद्व अपील कर रखी है, जिसमें स्थगन आदेश भी पारित हो गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील नामान्तकरण 290 जो कि सनद खातेदारी के आधार पर दर्ज किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की अपील सं. 30/11 में अपीलान्ट पक्षकार नही है। इस हेतु अपीलान्ट ने धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के पिता के द्वारा की गई दस्तबरदारी के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण सं. 291 दिनांक 11.06.2014 को दर्ज किया गया है जिसे अदालत मातहत द्वारा खारिज किया गया है के विरूद्व अदालतवाला में अपील सं. 156/2017 जैरकार है। इस आधार पर अपीलान्ट इस प्रकरण में हितबद्व पक्षकार है जिसका लिखित खण्डन रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है साथ ही प्रार्थना पत्र दफा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं रोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका भी लिखित खण्डन रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी एवं दफा–5 मियाद, दोनो स्वीकार किये जाते है।

अपीलाधीन निर्णय में मोहनलाल के फौत हो जाने पर वारिसान के नाम नामान्तकरण सं. 286 दिनांक 05.12.2009 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के नाम स्वीकृत हुआ परन्तु नामान्तकरण सं. 290 मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के स्थान पर कॉलम सं. 7 में मोहनलाल के नाम गैर खातेदारी भूमि हिस्सा 28 6/7 अंकित करते हुए खातेदारी सनद के आधार पर खातेदार दर्ज किया गया है

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जो कि विधि सम्मत नहीं है, नामान्तकरण सं. 290 के कॉलम सं. 7 में मोहनलाल के स्थान पर मुताबिक जमाबन्दी सं. 2065–2068 खाता सं. 113 के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था इस प्रकार नामान्तकरण सं. 290 के द्वारा मोहनलाल के हक मे दर्ज किया गया। खातेदारी नामान्तकरण रिकार्ड से मिलान नही होने के कारण कायम रखा जाना उचित नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं. 290 को निरस्त करने की कोई त्रुटि नही की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। साथ ही इस नामान्तकरण को दर्ज करने वाले तत्कालीन पटवारी जिन्होने राजस्व रिकॉर्ड के विपरित जाकर नामान्तकरण सं. 290 के कॉलम सं. 7 मे गलत प्रविष्टि की, तत्कालीन गिरदावर एवं नायब तहसीलदार जिन्होने मिलान किए बिना जमाबन्दी की प्रविष्टी के विपरीत नामान्तकरण का मिलान व स्वीकृत करने का कार्य किया है के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जिला कलक्टर हनुमानगढ को निर्णय की प्रति अलग से भिजवाई जावे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।